

25.02.2025:-पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र में रानीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ को डिक्री की पालना में पत्र जारी कर शामिल मिशाल किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो